भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2559

17 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग

2559. श्री नीरज डांगी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत प्राप्त हुई संपूर्ण राशि का उपयोग किया कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में कुल प्राप्त राशि और कुल व्यय राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को राजस्थान राज्य से कितनी राशि प्राप्त हुई और उसके सापेक्ष कितनी राशि राजस्थान में व्यय की गई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय संस्थानों, ग्रामीण विद्यालयों, अस्पतालों में भी विकास कार्यों पर जोर दे रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में किस क्षेत्र में कितनी राशि का विकास कार्य हुआ है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ङ): निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों धनराशि का आवंटन और उपयोग सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत उल्लिखित व्यापक रूपरेखा के अनुसार करती हैं। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-विनिर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमा को पार करने वाली कंपनियों को ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करना होगा। कंपनी के बोर्ड को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की आयोजना, निर्णय, निष्पादन और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII उन गतिविधियों को इंगित करती है, जिन्हें कंपनी द्वारा किया जा सकता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास परियोजनाएं आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 135(5) के पहले परंतुक में प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्रों और अपने प्रचालन के आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।

विगत तीन वर्षों यानि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में मुख्य सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर राशि और किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2559 के भाग (क) से (ङ) का उत्तर

विगत 3 वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में मुख्य सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर राशि और किए गए वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा

सीपीएसई का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम और की गई सीएसआर गतिविधियाँ	(लाख रुपये में)					
		2017-18		2018-19		2019-20	
		सीएसआर राशि	व्यय	सीएसआर राशि	व्यय	सीएसआर राशि	व्यय
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)	सेल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता, खेल-कूद कोचिंग को बढ़ावा देना, पारंपरिक कला और संस्कृति, जल सुविधाओं तक पहुंच और स्वच्छता, पर्यावरण स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियाँ चलाई हैं। सीएसआर गतिविधियाँ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों में की गई हैं।	2600	2570	3000	3118	3300	2756
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	आरआईएनएल ने स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छ भारत, प्राकृति आपदाओं के दौरान सहायता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, पर्यावरण तथा स्वच्छ गंगा, खेल-	1300	960	1190	1030	1010	796

	कूद, ग्रामीण विकास, मलिन बस्ती क्षेत्र का विकास, सर्वेक्षण/मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और केरल में किया गया है।						
एनएमडीसी लिमिटेड	एनएमडीसी ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण, आधारभूत संरचना, संस्कृति और विरासत, बाढ़ राहत / प्राकृतिक आपदा, पोषण, कौशल विकास, खेल को बढ़ावा देने, आदि जैसी सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है। गतिविधियों को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया है।	19516	16937	20000	16724	20000	19999
मॉयल लिमिटेड	मॉयल ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल-कूद, पर्यावरणीय संधारणीयता जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में की गई हैं।	922	962	925	929	1250	1274
एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण,	215	215	200	200	शून्य	54

	पेयजल, सफाई, खेल-कूद, कला और संस्कृति, बाढ़ राहत, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संधारणीयता और कौशल विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और उत्तर प्रदेश में की गई हैं।						
केआईओसीएल लिमिटेड	केआईओसीएल ने सफाई तथा पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल-कूद प्रोत्साहन, बाढ़ राहत, स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन आदि क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियाँ की हैं। सीएसआर गतिविधियाँ कर्नाटक, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मुख्य रूप से की जाती है।	16	16	40	33	208	331
मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन ने पोषण, सफाई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास तथा आजीविका, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास आदि जैसी सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में किया गया है।	203	49	544	17	547	330